न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 274/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/438

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.अलावक्स खां पुत्र कादर खां 2.आरवखां पुत्र हमले खां 3.इनुस खां उर्फ ईदू खं पुत्र दावद खां उर्फ धावर खां 4.सारून खां उर्फ सागर खां पुत्र दावद खां उर्फ धावर खां 5.फतेह खां पुत्र दावद खां उर्फ धावर खां 6.मुस्समात गुलावी पत्नि दावद खां उर्फ धावर खां 7.हनीफ खां पुत्र दावद खां उर्फ धावर खां 8.कमी पत्नि भाई खां 9.धुमेखां पुत्र मेगा खां 10.नेकू खां पुत्र भाई 11.नसीरा पुत्र भाई 12.वांदे खां पुत्र हमले खां 13.मुस्समात रेमती पत्नि हमलेखां 14.मीमो पत्नि कादरखां (फोत) 15.लाधु खां पुत्र भाई 16.शेर पुत्र भाई 17.सतार खां पुत्र हमले खां 18.हेदर खां पुत्र मेगाखां 19.हुसैन पुत्र कादरखं जाति मुसलमान निवासी आदमपुरा तहसील पाटोदी	1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी 2.आरीन खां पुत्र हैदर खां 3.निजाम खां पुत्र हैदर खां 4.गिसारो पत्नि हैदर खां 5.रसूल पुत्र हैदर खां 6.सगे खां पुत्र मुवेन खां जाति मुसलमान निवासी आदमपुरा तहसील पचपदरा 7.ग्राम पंचायत भाखरसर जरिए सरपंच 8.आलमखां पुत्र मठार खां 9.खमशेर खां पुत्र मठार खां 10.गन्नी खां पुत्र मठार खां 11.मकने खां पुत्र मठार खां 12.मरिमो पत्नि मठार खां 13.फतेखां पुत्र ईस्माइल खां 14.भीखे खां पुत्र ईस्माइल खां 15.सुवटी पत्नि ईस्माइल खां 16.दावद खां पुत्र जेते खां जाति मुसलमान निवासी आदमपुरा तहसील पाटोदी जिला बालोतरा	

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री जूंजाराम पटेल अधिवक्ता प्रार्थीनीगण
2. श्री प्रेमराज पंवार अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 से 16
3. विप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 16.10.2025

1.संक्षिप्त मे आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आदमपुरा तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 76 क्षेत्रफल 25.5842 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी मे अवस्थित है। विवादित आराजी प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी के नाम वक्त सेटलमेट दर्ज हुई थी। प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी के फौत होने पर उनके वारिसान तौर पर प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज हुई। वक्त सेटलमेंट मे दर्ज रकबे तथा उसी के अनुसार बने रेवन्यू नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी काबिज थे तथा दर्ज रकबे व नक्शा मे कोई भिन्नता नही थी,तथा इसीनुसार मौके पर प्रार्थीगण आदिनांक काबिज है। तत्पश्चात विवादित भूमि के लटढा नक्शा मे बिना सक्षम आदेश के तरमीम मौका स्थिति के विपरीत कर दी गई,जिसके कारण मौका एवं रेकर्ड स्थिति मे भिन्नता होने के कारण सीमाओ को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। अतं विवादित आराजी की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर नजरी नक्शा परिशिष्ट अ मे दर्शित मुताबिक तरमीम दुरूस्ती की जावे तथा प्रार्थी संख्या 3 का राजस्व रेकर्ड मे अशुद्व नाम हटाया जाकर इनुसखां पुत्र दावद खां,प्रार्थी संख्या 4 का अशुद्व नाम हटाया जाकर सारून खां पुत्र दावदखां व प्रार्थी संख्या 5 से 7 के पिता/पति की अशुद्व वल्दियत धावरखां की जगह दावदखां रेकर्ड मे दुरूस्त करवाने हेतु आवेदन पेश किया गया।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री प्रेमराज पंवार द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 से 16 की ओर से वकालतनामा मय इकबालीया जवाब पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई,जो शामिल मिसल की गई। वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित नही हुए।

3.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम आदमपुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 76 क्षेत्रफल 25.5842 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी मे अवस्थित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विवादित आराजी प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी के नाम वक्त सेटलमेट दर्ज हुई थी। प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी के फौत होने पर उनके वारिसान तौर पर प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज हुई। वक्त सेटलमेंट मे दर्ज रकबे तथा उसीनुसार बने रेवन्यू नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी काबिज थे तथा दर्ज रकबे व नक्शा मे कोई भिन्नता नही थी,तथा इसीनुसार मौके पर प्रार्थीगण आदिनांक काबिज है। तत्पश्चात विवादित भूमि के लटढा नक्शा मे बिना सक्षम आदेश के तरमीम मौका स्थिति के विपरीत कर दी गई,जिसके कारण मौका एवं रेकर्ड स्थिति मे भिन्नता होने के कारण सीमाओ को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि विप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार पचपदरा ने अपनी रिपोर्ट मे स्वीकार किया है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 76 व मूल खसरा संख्या 75 से विभक्त होकर बने खसरान सहित की नक्शा व मौका स्थिति मे एकरूपता नही है,तथा प्रस्तावित तरमीम नक्शा अनुसार तरमीम किए जाने की अनुशंषा की है। अतं विवादित आराजी की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर मौका रिपोर्ट मे प्रस्तावित नक्शा मुताबिक तरमीम दुरूस्ती की जावे तथा प्रार्थी संख्या 3 का राजस्व रेकर्ड मे अशुद्व नाम हटाया जाकर इनुसखां पुत्र दावद खां,प्रार्थी संख्या 4 का अशुद्व नाम हटाया जाकर सारून खां पुत्र दावदखां व प्रार्थी संख्या 5 से 7 के पिता/पति की अशुद्व वल्दियत धावरखां की जगह दावदखां नाम दुरूस्ती की जावे।

4.विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित भूमि की विदयमान तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है। अंत तहसीलदार पचपदरा की मौका रिपोर्ट के अनुरूप तरमीम दुरूस्ती की जाती है,तो विप्रार्थी को आपति नही है।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमे पाया कि प्रार्थीगण विवादित भूमि खसरा संख्या 76 के रिकार्डेड सहखातेदार है तथा मूल खसरा संख्या 75 से विभक्त होकर बने खसरान संख्या 409/75, 407/75,406/75 व 408/75 के विप्रार्थी सहखातेदार है। प्रार्थीगण व विप्रार्थी के खेतो की सीमाए लगती हुए है,जो कि मोमी ट्रेस की प्रमाणित प्रति अवलोकन से स्पष्ट है। मोमी ट्रेस व विदयमान नक्शा अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विदयमान तरमीम मोमी ट्रेस नक्शा के विपरीत हो रखी है। जिसकी ताईद तहसीलदार पचपद्रा द्वारा अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट अंकन किया है कि विदयमान तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है,जबकि मोमी ट्रेस के अनुरूप लटढा नक्शा मे तरमीम होनी चाहिए थी। अशुद्व तरमीम के कारण प्रार्थीगण की खसरा संख्या 76 की रेकर्ड रकबा से कम लटढा नक्शा मे तरमीम हो रखी है तथा विप्रार्थी की मूल खसरा संख्या 75 से विभक्त होकर कायम खसरान का

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रकबा से अधिक लटढा नक्शा मे तरमीम हो रखी है,जबकि मौके पर पक्षकारान का रकबा मुताबिक कब्जा काश्त है,इस प्रकार स्पष्ट है कि विदयमान तरमीम अशुद्व हो रखी है। इसी प्रकार विप्रार्थी ने अपने इकबाली जवाब मे भी स्वीकार किया है कि खसरा संख्या 76 व 75 की सीमाए मिलती है,लेकिन मोमी ट्रेस नक्शा के मुताबिक किश्तवार नक्शा मे तरमीम उसके विपरीत करने के कारण विदयमान तरमीम अशुद्व हो रखी है। अशुद्व तरमीम के कारण मूल खसरा संख्या 75 से विभक्त होकर बने खसरान की राजस्व रेकर्ड मे दर्ज रकबा से अधिक लटढा नक्शा मे तरमीम हो रखी है,जिसके कारण रेकर्ड एवं नक्शा स्थिति मे भिन्नता है,इस कारण प्रार्थीगण की खसरा संख्या 76 व विप्रार्थी की मूल खसरा संख्या 75 से विभक्त होकर बने खसरान सहित की मौका रिपोर्ट के अनुरूप तरमीम दुरूस्त की जाती है,तो विप्रार्थी को आपति नही है। इस प्रकार यह भी भली भांति प्रमाणित है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी के खेतो की तरमीम रेकर्ड एवं मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है,जो प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने के हकदार है। इसके अलावा विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट मे विवादित भूमि की विदयमान तरमीम को निरस्त करवाने हुए मौका रिपोर्ट मे दर्शित प्रस्तावित नक्शा मुताबिक तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। इसके अतिरिक्त न्यायालय हाजा द्वारा पत्रालवी पर उपलब्ध रेकर्ड अवलोकन से पाया कि विवादित भूमि की किश्तवार लढटा नक्शा मे की गई अशुद्व तरमीम बिना सक्षम अधिकारी अथवा सक्षम न्यायालय आदेश के की जानी पाई गई है,जो अपने आप मे विधि विरूद्व है,ऐसे रेकर्ड मे किए गए फेरबदल अपने आप मे प्रारम्भ से ही शून्य की श्रेणी मे आते है तथा विवादित भूमियो की तरमीम दुरूस्ती किए जाने के कारण रेकर्ड एवं मौका स्थिति मे एकरूपता आऐगी तथा रकबा कम–पेशी भी नही होगा। जहां तक रेकर्ड मे प्रार्थी संख्या 3 व 4 का नाम अशुद्व व प्रार्थी संख्या 5 से 7 के पिता/पति की अशुद्व वल्दियत दुरूस्ती करवाने का प्रश्न है,इस संबध मे प्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई राजस्व रेकर्ड पेश नही किया गया है,जिससे साबित होता हो कि उक्त दुरूस्ती करने योग्य है। उभय–पक्षकारान भी प्रस्तावित नक्शा अनुरूप तरमीम करवाने मे सहमत है। प्रार्थीगण द्वारा अपने आवेदन को दस्तावेजी साक्ष्य मे साबित करने मे सफल रहे है,ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–आदमपुरा तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 76 व

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी

मूल खसरा संख्या 75 से विभक्त होकर बने खसरा संख्या 409/75, 407/75,406/75 व 408/75 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार पाटोदी के पत्रांक 877/06.5.2025 के संलग्न मौका फर्द मे दर्शित चित्र संख्या B मुताबिक तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते है। मौका रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शा चित्र संख्या B आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम व प्रार्थी संख्या 5 से 7 के पिता/पति की अशुद्व वल्दियत बाबत जांच करवाते हुए नियमानुसार शुद्वि करवाने की कार्यवाही करे।

(अशोक कुमार) 16/10/25
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 16.10.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 16/10/25
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा